न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :– 186/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
01. गंगाराम पुत्र बुधाराम 02. गणेश राम पुत्र खीयाराम 03. पदम कुमार पुत्र खीयाराम 04. भागीरथ पुत्र खीयाराम 05. मांगीलाल पुत्र बुधाराम 06. मादाराम पुत्र बुधाराम 07. सुरेश चौधरी पुत्र खीयाराम जातिगण जाट निवासीगण चौपड़ा तह0 सोजत जिला पाली राज0।		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : 10/11/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गांव चौपड़ा पटवार हल्का चौपड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत में निम्नानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जासुदा, कृषि भुमि आयी हुई स्थित है। जिसके वर्तमान खाता नंबर 496 खसरा नंबर 528 रकबा 3.8900 हैक्टर, खसरा नंबर 529 रकबा 3.3600 हैक्टर, खसरा नंबर 562 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 565 रकबा 0.6000 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 8.8700 हैक्टर की कृषि भुमि आयी हुई स्थित है। वादग्रस्त कृषि भुमि खसरा नंबर 563 एवं 529 की तरमीम सैटलमेन्ट पश्चात् माफिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम गलत दी गयी है जो कि पुराने राजस्व रेकर्ड नक्शा से भिन्न है। वादग्रस्त कृषि भुमि खसरा नंबर 528 रकबा 3.8900 हैक्टर, खसरा नंबर 529 रकबा 3.3600 हैक्टर, खसरा नंबर 562 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 565 रकबा 0.6000 हैक्टर के सैटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नंबर 256, 306, 257, 305, 301 मिन, 302, 303, 304 है। जिसका नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है। सैटलमेन्ट के पश्चात, सैटलमेन्ट अधिकारीयों को कोई हक अधिकार नही था कि सैटलमेन्ट के पश्चात बने नये खसरा की तरमीम गलत इन्द्राज कर दे। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट क जो कि सैटलमेन्ट पश्चात मौके की वास्तविक स्थिति को इंगित करता है के अनुसार वादग्रस्त कृषि भुमि खसरा नंबर 563 एवं 529 की तरमीम को दुरस्त करवाये। इस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट क अनुसार वादग्रस्त कृषि भुमि के राजस्व नक्शे को दुरस्ती के आदेश प्रदान कराये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करने अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया जाता हैं।

प्रकरण में वादरथ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है कि सरहद मौजा चौपड़ा, प0ह0 चौपड़ा, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौपड़ा तह0 सोजत के खाता सं0 496 में ख0नं0 528 रकबा 3.89 है0, ख0नं0 529 रकबा 3.36 है0, ख0नं0 562 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 563 रकबा 0.62 है0 व ख0नं0 565 रकबा 0.60 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 8.87 है0 कृषि भूमि खातेदार गंगाराम पुत्र बुधा 1/4 हिस्सा गणेशराम पुत्र खींवाराम हि0 1/16, पदमकुमार पुत्र खींयाराम हि0 1/16, भागीरथ चौधरी पुत्र खींयाराम हि0 1/16, मांगीलाल पुत्र बुधाराम हि0 1/4, मादाराम पुत्र बुधाराम हि0 1/4, सुरेश चौधरी पुत्र खींवाराम हि0 1/16, जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम जमाबंदी संवत् 2075–78 में दर्ज हैं। ग्राम चौपड़ा के ख0नं0 563, 529 भूमि की सैटलमेंट पश्चात् की गलत तरमीम दुरस्त किये जाने का वाद विचाराधीन हैं। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 528, 529, 562, 563, 565 सैटलमेंट पूर्व के खसरा नं0 256, 306, 257, 305, 301 मी0, 302, 303 व 304 से बने हैं। सैटलमेंट पश्चात् का वर्तमान ख0नं0 563 जो सैटमेंट पूर्व के ख0नं0 301 से बना है। जिस पर खातेदार गंगाराम पुत्र बुधाराम जाति जाट वगैरह का ही कब्जा काश्त है। पुराने ख. नं. 301 से बना नया ख0नं0 563 रकबा 0.62 है0 ही दर्ज है, शेष पुराने ख0नं0 301 का 0.80 है0 रकबा नये ख0नं0 564 में सम्मिलित किया है, जो कि वर्तमान खातेदार इन्द्रसिंह पुत्र खींवसिंह 1/16, कालु कंवर पुत्र जालमसिंह हि0 1/16, भंवरसिंह पुत्र जालमसिंह हि0 1/16, भवानीसिंह पुत्र सरदारसिंह हि0 1/16, मन्जू कंवर पुत्री खींवसिंह हि0 1/16, मनोहरसिंह पुत्र जालमसिंह हि0 1/16, राजूसिंह पुत्र खींवसिंह हि0 1/16, शम्भुसिंह पुत्र सरदारसिंह हि0 1/4, श्याम कंवर पत्नी खींवसिंह हि0 1/16, सम्पत कंवर पुत्री जालमसिंह हि0 1/16 जाति राजपूत के नाम दर्ज है, लेकिन पुराने ख0नं0 301 के शेष रकबे 0.80 है0 पर इनका कब्जा काश्त नहीं है अर्थात् नये ख0नं0 564 में 5.96 – 0.80 है0 = 5.16 है0 पर ही इन्द्रसिंह पुत्र खींवसिंह वगैरह राजपूत का कब्जा काश्त हैं। सैटमेंट पश्चात् का वर्तमान ख0नं0 529 रकबा 3.36 है0 दर्ज है, जो कि सैटलमेंट पूर्व के खसरा नं0 257 रकबा 17.10 बीघा यानि 2.80 है0 एवं सरकारी ख0नं0 251 मी0 से बनना बताया है, जबकि वर्तमान नक्शा अनुसार ख0नं0 529 रकबा 3.36 है0 में सेटलमेंट पूर्व के ख0नं0 257 का 2.56 है0 रकबा व खसरा नं0 258 का 0.80 है0 रकबा आता है। ख0नं0 251 मी0 का हिस्सा नहीं आता है। पूर्व सेटलमेंट का ख0नं0 258 रकबा 0.80 है0, जो कि वर्तमान ख0नं0 529 का भाग है पर वर्तमान ख0नं0 529 के खातेदार गंगाराम पुत्र बुधाराम जाट का कब्ज/काश्त नहीं होकर वर्तमान ख0नं0 555 के खातेदार इन्द्रसिंह पुत्र खींवसिंह वगैरह राजपूत का कब्जा काश्त है अर्थात् ख0नं0 529 के खातेदारान का 3.36 – 0.80 = 2.56 है0 पर कब्जा/काश्त है व ख0नं0 555 के खातेदारान का 2.52 + 0.80 = 3.32 है0 पर कब्जा काश्त हैं। नजरी नक्शा तथा मौका एवं काश्त/काश्त अनुसार, पूर्व सेटलमेंट के ख0नं0 एवं मिलान

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

...फल के आधार पर पूर्व सेटलमेंट के ख0नं0 301 सम्पूर्ण पर खातेदार गंगाराम पुत्र बुधाराम ...ह जाट का कब्जा/काश्त होने से वर्तमान ख0नं0 563 का रकबा 0.80 है0 बढाया जाकर खातेदार इन्दसिंह पुत्र खींवसिंह राजपूत का ख0नं0 564 का रकबा 0.80 है0 घटाया जाना प्रस्तावित है तथा सेटलमेंट पूर्व के खसरा नं0 258 का खातेदार इन्दसिंह पुत्र खींवसिंह का कब्जा/काश्त होने से वर्तमान ख0नं0 529 का रकबा 0.80 है0 घटाया जाकर खातेदार इन्द्रसिंह पुत्र खींवसिंह के ख0नं0 555 का रकबा 0.80 है0 बढाया जाना प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार उक्त नक्शे अनुसार ख0नं0 563 का रकबा कुल 1.42 है0 बिन्दु ABCDEF अनुसार, ख0नं0 564 का रकबा कुल 5.16 है0 बिन्दु EFGHIJKLM अनुसार, ख0नं0 529 का रकबा कुल 2.56 है0 बिन्दु PQRSTUYZC अनुसार, ख0नं0 555 का रकबा कुल 3.32 है0 बिन्दु UVWXY अनुसार किया जाना प्रस्तावित है तथा इसी रकबा अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका एवं रेकर्ड के संबंध में तहसीलदार सोजत मय भू0अ0नि0 चौपड़ा तथा पटवारी हल्का लाणेरा, राजोला कलां, चौपड़ा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार विस्तृत वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की पेश की। उसी अनुरूप वादग्रस्त कृषि भूमि की तरमीम को दुरूस्त कर खाता दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सोजत मय भू0अ0नि0 चौपड़ा तथा पटवारी हल्का लाणेरा, राजोला कलां, चौपड़ा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार विस्तृत वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय नजरी नक्शा से गत सेटलमेंट के खसरा का रकबा एवं वर्तमान खसरा के रकबा तथा मौके पर काबिज स्थिति में भिन्नता होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित तथा अनुशंषा के माफिक ख0नं0 563 का रकबा कुल 1.42 है0 बिंन्दु ABCDEF अनुसार, ख0नं0 564 का रकबा कुल 5.16 है0 बिन्दु EFGHIJKLM अनुसार, ख0नं0 529 का रकबा कुल 2.56 है0 बिन्दु PQRSTUYZC अनुसार, ख0नं0 555 का रकबा कुल 3.32 है0 बिन्दु UVWXY अनुसार किया जाकर खाता दुरूस्ती तथा इसी रकबा अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम दुरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गांव चौपड़ा पटवार हल्का चौपड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत के ख0नं0 563 का रकबा कुल 1.42 है0 बिन्दु ABCDEF अनुसार, ख0नं0 564 का रकबा कुल 5.16 है0 बिन्दु

उपखण्ड ...
सोजत (राज.)

EFGHIJKLM अनुसार, ख0नं0 529 का रकबा कुल 2.56 है0 बिन्दु PQRSTUYZC अनुसार, ख0नं0 [illegible] का रकबा कुल 3.32 है0 बिन्दु UVWXY अनुसार किया जाकर खाता दुरूस्ती तथा इसी रकबा अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम दुरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 10/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला पाली (राज.)